

## आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

**का.आ. 5178(अ).**—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- लागू होना-** यह इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

### अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानकका नाम
(1)	(2)	(3)
50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे	आईएस 11652:2017	50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे-विनिर्देश

**टिप्पण :** अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

### ORDER

New Delhi, the 6th December, 2023

**S.O. 5178(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -

**1. Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Application-** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to goods or article meant for export.

**3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark-** Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

**4. Certifying and enforcing authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

#### SCHEDULE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement	IS 11652:2017	Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement- Specification

**Note :** For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.